रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251028
CG-DL-E-01012024-251028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945
No. 05] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

का.आ. 05(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित *संख्या का. आ.* 5481(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

और, पर्यावरण-अनुकूल उद्देश्यों के लिए राख के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उक्त अधिसूचना के कुछ उपबंधों में संशोधन करना समीचीन है, जिसमें राख-आधारित उत्पाद निर्माण में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा निर्मित राख-आधारित उत्पादों में राख का उपयोग सम्मिलित है;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना के,-

(1) पैरा ख में,-

(i) उप-पैरा (1) में, दोनों परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट ने ऐसी एजेंसियों को राख उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया हो, जिसके लिए राख और परिवहन की लागत कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट द्वारा वहन की जाएगी।"

(ii) उप-पैरा (8) में, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी भवन निर्माण परियोजनाएं (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी उपक्रम, अन्य सरकारी एजेंसियां और सभी निजी एजेंसियां) राख की ईंटों, टाइल्स, सिंटर्ड राख समुच्चय या अन्य राख आधारित उत्पाद का उपयोग करेंगी, परन्तु इन्हें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) या संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्दिष्ट दरों की अनुसूची में उल्लिखित कीमत से अनधिक कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा या दरों की अनुसूची के आधीन निर्धारित न होने पर वैकल्पिक उत्पादों के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा.

परंतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग 01 जनवरी, 2024 से छह महीने के भीतर निर्दिष्ट दरों की अनुसूची प्रकाशित करेंगे।"

(iii) उप-पैरा (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(10) सभी स्थानीय प्राधिकरण राख और राख-आधारित उत्पादों अर्थात् इमारतों, सड़कों, तटबंधों या किसी अन्य संबंधित निर्माण गतिविधि के निर्माण में ईंटें, ब्लॉक, टाइलें, सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख समुच्चय, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड, पैनल के उपयोग के लिए अपने संबंधित भवन उपनियमों और अन्य सुसंगत विनियमों में उपबंध करेंगे।"

(2) पैरा घ में,-

(i) पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(1) ताप विद्युत संयंत्रों के मालिक उन व्यक्तियों या एजेंसियों को, जिन्हें पैरा ख के उप-पैरा (1) और (3) के अधीन राख का उपयोग करने की आवश्यकता है, परिवहन की लागत को वहन करते हुए राख की मुफ्त आपूर्ति करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक प्रति के साथ एक लिखित नोटिस देंगे।

(1क) राख की ईंटों या टाइलों या सिंटर्ड राख समुच्चय या अन्य राख-आधारित उत्पादों के निर्माता उन व्यक्तियों या एजेंसियों को जिन्हें पेशकश के लिए पैरा ख के उप- पैरा (8) के अधीन राख-आधारित उत्पादों का उपयोग करना आवश्यक है, ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए एक लिखित नोटिस देने सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उसकी एक प्रति देंगें।"

(ii) उप-पैरा (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(4) कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट इस अधिसूचना के अधीन राख का उपयोग करते समय, राख का एक निश्चित प्रतिशत राख आधारित उत्पादों अर्थात् ईंटों, ब्लॉकों, टाइलों, सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख समुच्चय, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड, पैनल के निर्माण में लगे सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रियायती मूल्य पर या सीमित नीलामी के माध्यम से आपूर्ति के लिए आरक्षित रखेंगे।"

[फा. सं. 09/01/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 5481 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या का.आ. 6169 (अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2024

S.O. 05(E).—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O.5481(E), dated the 31st December, 2021;

AND WHEREAS, requests have been received from Ministry of Power and other stakeholders regarding implementation of provisions of the said notification;

AND WHEREAS, it is expedient to amend certain provisions of the said notification to promote use of ash for eco-friendly purposes, including use of ash in ash-based products manufactured by micro and small enterprises engaged in ash-based product manufacturing;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with of sub-rule (1), (2) and (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the ash utilisation notification, namely:-

In the ash utilisation notification,-

(1) In paragraph B,-

(i) in sub-paragraph (1), for both the provisos, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that the coal or lignite based thermal power plant has given a notice to such agencies for making available ash to such agencies for which cost of ash and transportation shall be borne by the coal or lignite based thermal power plant."

(ii) in sub-paragraph (8), the following shall be substituted, namely:

"All building construction projects (Central, State and Local authorities, Govt. undertakings, other Govt. agencies and all private agencies) located within a radius of 300 kms from a coal or lignite based thermal power plant shall use ash bricks, tiles, sintered ash aggregate or other ash based products, provided these are made available at prices not more than the price mentioned in the Schedule of Rates as specified by the Central Public Works Department (CPWD) or Public Works Department (PWD) of the State concerned or price of alternative products, if not mentioned in the Schedule of Rates.

That the Central Public Works Department and Public Works Department of the State concerned shall publish the Schedule of Rates specified within six months from the 1st January, 2024."

(iii) after sub-paragraph (9), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:

"(10) All local authorities shall make provisions in their respective building bye-laws and other relevant regulations for the use of ash and ash-based products, such as bricks, blocks, tiles, sintered or cold bonded ash aggregates, fibre cement sheets, pipes, boards, panels in construction of buildings, roads, embankments or for any other related construction activity."

(2) In paragraph D,-

(i) for paragraph (1), the following shall be substituted, namely:

"(1) The owner of thermal power plants shall give a written notice to persons or agencies who are required to utilise ash under sub-paragraph (1) & (3) of paragraph B for offering the supply of ash free of cost and bearing cost of transportation, with a copy to concerned State Pollution Control Board.

(1A) The manufacturers of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate or other ash-based products shall give a written notice to persons or agencies who are required to utilise ash-based products under sub-paragraph (8) of paragraph B for offering for sale of such products with a copy to concerned State Pollution Control Board."

(ii) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:

"(4) The coal or lignite based thermal power plants, while utilising ash under this notification shall reserve certain percentage of ash for supply to all micro and small enterprises engaged in ash-based product manufacturing namely, bricks, blocks, tiles, sintered or cold bonded ash aggregates, fibre

cement sheets, pipes, boards, panels for sale at concessional price or through limited auction in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Power."

[F. No. 09/01/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.5481 (E), dated the 31st December, 2021 and last amended, *vide* number S.O. 6169 (E) dated the 30th December, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.01 20:56:04 +05'30'